

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल देवीडेवरी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक-एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/50834-1058 दिनांक: 14/06/2022

1. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिसाधी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में सभी निकायों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का विधिवत शुभारंभ किये जाने के पश्चात् ही निकाय में कार्यों को प्रारंभ/संपादित कराने की कार्यवाही की जावे साथ ही योजना से संबंधित सभी कार्यों जैसे-आवेदन, जॉब कार्ड व मस्टररोल इत्यादि की सूचनाएं/विवरण IRGY-URBAN के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही तैयार की जावें। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मस्टररोल किसी भी परिस्थिति में केवल ऑनलाईन ही जारी किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 14/06/2022

क्रमांक-एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/51059-103

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (समस्त), राजस्थान।
4. सम्भागीय अधीक्षण अभियंता (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
6. सुरक्षित पत्रावली।

7/14/06/22
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता